(d) what steps are being taken to arrive at an agreement with the Jute workers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) and (b) Only in West Bengal, the workers of the Jute Industry have strick work from 28th January, 1992 following a call for general siriks given by certain Trade Unions in support of their Charter of demands. The main points of the Charter of Demands are (i) Hike in wages, (ii) Increase in the rate of neutralisation of variabel Dearness Allowance, (iii) Increase in HRA, Bonus, Gratuity, (iv) Introduction of Medical Leave, Medical Allowance, Leave Travle Allowance facilities, (v) Implementation of Jute Packaging Meterial Act, (vi) Nationalisation of Jute Industriy etc.

(c) and (d) The Government of West Bengal, the appropriate Government under the Industrial Dispute Act, 1947 has intiated necessary action to bring about a settlement to the strike. The Central Government has also appealed to the Chief Minister of West Bengal for his intervention.

Pension scheme to working journalists

555. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU :
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR :
SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to launch a scheme to provide pension to working journalists and other categories of employee! covered under the employees Provident Fund Scheme ;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that the details of the scheme had been worked out by the Central Provide n Fund Commissioner and submitted to Government ; and

(d) if so, the reasons for delay in finalising the scheme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The Central Board of Trustees, Employees Provident Fund have recommended introduction of a suitable Pension Scheme for the members of the Employees Provident Fund Scheme including working journalists. The Scheme provides for payment of pension in the contigencies of superannuation, retirement and permanent total disablement/death in service.

(d) Finalisation of the Scheme requires inter-departmental consultations.

देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

556. डा. अबरार अहमद :
चौधरी हरि सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की, राज्यवार, संख्या कितनी-कितनी है और सरकार ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है ;

(ख) श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें कब तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रमिक मूल्य-वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ; और

(घ) श्रमिकों को नियमित रूप से काम देने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के पिछले सर्वेक्षण (जुलाई, 1987–जून, 1988) के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों का राज्यवार आकलन संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये) सामान्य विकास प्रक्रिया में होने वाले रोजगार सृजन के अलावा, विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से भी अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जाता है । रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य भी है ।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वेतन की न्यूनतम दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में, वेतन की न्यूनतम दरों को संशोधित करने वाली अधिसूचनाओं में जीवन-निर्वाह-व्यय सूचकांक से जुड़े विशेष भत्ते की व्यवस्था है ताकि मूल्य-वृद्धि को निष्प्रभावित किया जा सके। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे वेतन की न्यूनतम दरों को जीवन-निर्वाह-व्यय सूचकांक से जोड़ें । परिवर्तनीय महंगाई के इस अवयव को आवधिक तौर पर समायोजित किया जाता है ।

(घ) विकास की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार अवसरों का सृजन करने के प्रयास किए जाते हैं । स्व-रोजगार कार्यक्रमों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और नेहरू रोजगार योजना (एन. आर.वाई.) का उद्देश्य गरीब परिवारों के लोगों को समुचित रोजगार प्रदान करना है । रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख अंग भी है ।

विवरण

शिक्षित बेरोजगारों की अनुमानित संख्या (1988)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित बेरोजगारों की संख्या (हजारों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	353
2. असम	134
3. बिहार	313
4. गुजरात	112
5. हरियाणा	147
6 हिमाचल प्रदेश	38
7. जम्मू और काश्मीर	40
8. कर्नाटक	229
9. केरल	727
10. मध्य प्रदेश	156
11. महाराष्ट्र	365
12. मणिपुर	9
13. मेघालय	1
14. नागालैंड	2
15. उड़ीसा	194
16. पंजाब	159
17. राजस्थान	94
18. सिक्किम	1
19. तमिलनाडु	488
20. त्रिपुरा	23
21. उत्तर प्रदेश	387
22. पश्चिम बंगाल	476
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
24. अरुणाचल प्रदेश	नगण्य
25. चंडीगढ़	9
26. दादर और नागर हवेली	नगण्य
27. दिल्ली	53
28. गोवा, दमन और दीव	16
29. लक्ष द्वीप	1
30. मिजोरम	नगण्य
31. पांडिचेरी	8
अखिल भारत	4537